

# प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 13.04.2025

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दूसरे की जमीन का बैनामा करने के आरोप में 02 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चिलुआताल के नेतृत्व में 30नि0 लक्ष्मीनारायण द्विवेदी मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 725/2024 धारा 419,420,467,468,471,506 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्तागण 1. सुदामी देवी व 2. भगवानी देवी को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तागण द्वारा कूटरचित/अवैध दस्तावेज तैयार कर वादिनी मुकदमा की जमीन बैनामा को दूसरे व्यक्ति को बैनामा कर देने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्तागण का नाम व पता-

1. सुदामी देवी पत्नी स्व0 शंकर निवासी ग्राम रामपुर गोपालपुर टोला शिवपुर थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
2. भगवानी देवी पत्नी स्व0 रामाज्ञा निवासी ग्राम रामपुर गोपालपुर टोला शिवपुर थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

## गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 725/2024 धारा 419,420,467,468,471,506 भादवि थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

## गिरफ्तारी की टीम-

1. 30नि0 लक्ष्मी नारायण द्विवेदी थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. 30नि0 आकाश जायसवाल थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. म030नि0 अंजना कुशवाहा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
4. का0 मनोज यादव-प्रथम थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर